

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

राजुराम

बनाम

स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 273 वर्ष 2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 03.10.2023 | <p>चकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.10.2023 को पेश हो</p> <p>30/10/2023 कुलाए फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 30/10/2023 गस्त 30/10/2023 दिनांक 30/10/2023 को पेश हो</p> <p>28/11/2023 कुलाए फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 28/11/2023 गस्त 28/11/2023 दिनांक 28/11/2023 को पेश हो</p> <p>2.2.2024 कुलाए फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 2.2.2024 गस्त 2.2.2024 दिनांक 2.2.2024 को पेश हो</p> | |
| 27.03.2024 | <p>वेकुलार फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 27.03.2024 गस्त 27.03.2024 दिनांक 27.03.2024 को पेश हो</p> <p>वेकुलार फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 27.03.2024 गस्त 27.03.2024 दिनांक 27.03.2024 को पेश हो</p> <p>वेकुलार फरीकन उपारथत/PU माहक अहकाम पत्रावली 27.03.2024 गस्त 27.03.2024 दिनांक 27.03.2024 को पेश हो</p> | |



डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 273/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
राजुराम दत्तक पुत्र तीजा जाति माली निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री नन्दलाल गोल्याण वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 27.03.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री नन्दलाल गोल्याण वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 26 आरडब्ल्यूडी के खाता सं. 226 के प.नं. 221/438(83) कि.नं. 17 की 0.253 है, 18/1 की 0.202 है, 19/1 की 0.013 है, 23/1 की 0.038 है, 24/1 की 0.240 है, प.नं. 221/439(85) कि. नं. 4/1 की 0.139 है, 5/1 की 0.038 है, 6/1 की 0.038 है, प.नं. 4 की 0.253 है, 5 की 0.025 है, 5/1 की 0.228 है, 6 की 0.025 है, 6/1 की 0.228 है, 7, 14 की 0.506 है, 15 की 0.025 है, 15/1 की 0.228 है, प.नं. 228/430(30) कि.नं. 21, 22, 23 की 0.759 है, प.नं. 221/431(35) कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 13 की 2.770 है. कुल 5.515 है. भूमि में दर्ज सन्तो पत्नी हनुमान के स्थान पर सन्तो पत्नी जयलाल दुरुस्त करते हुए हरखी पत्नी किशोरीलाल, सन्तो पत्नी जयलाल, बादो पत्नी हरचन्द, मीरा पत्नी हनुमान का नाम कलमजन करते हुए उनके हक हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2024 को जारी की गई।

02/10/1
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

संशोधित डिक्री बमुकदमें ईबादाई
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठारीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 273/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
राजुराम दत्तक पुत्र तीजा जाति माली निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।


-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री नन्दलाल गौल्याण वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 15.04.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 27.03.2024 में दर्ज चक 26 आरडब्ल्यूडी की खाता सं. 226 के प.नं. 4 के स्थान पर प.नं. 227/431(34) कि.नं. 4 तथा प.नं. 221/431(35) के स्थान पर 228/431(35) पढ़ा जावे। शेष अंकन पूर्व निर्णयानुसार ही रहेगा।

आज यह संशोधित पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.04.2024 को जारी की गई।


(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर